

अटल पेंशन योजना (APY) - खाता बंद करने का प्रपत्र  
(स्वैच्छिक निकास)

सेवा में,  
शाखा प्रबंधक,

\_\_\_\_\_ शाखा  
\_\_\_\_\_ शाखा

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं एतद्वारा अनुरोध करता हूँ कि अटल पेंशन योजना के तहत खोले गए मेरे खाते को बंद किया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है:

PRAN : \_\_\_\_\_

PRAN धारक का नाम : \_\_\_\_\_

कोष (पेंशन धन) बचत बैंक खाता  
संख्या में जमा किया जाएगा : \_\_\_\_\_

- बंद करने का कारण (कृपया चुनें) :
- योगदान का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं  तत्काल धन की आवश्यकता है
- अन्य (निर्दिष्ट करें: \_\_\_\_\_)

•यदि कोई अभिदाता, जिसने APY के तहत सरकारी सह-नियंत्रण का लाभ उठाया है, 60 वर्ष की आयु से पहले स्वेच्छा से APY से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो उसे केवल उसके द्वारा APY में किए गए योगदान के साथ-साथ अर्जित शुद्ध वास्तविक आय वापस की जाएगी। उसका योगदान (खाते के रखरखाव, संपत्ति प्रबंधन आदि शुल्क में कटौती के बाद), जबकि, सरकार के सह-अंशदान, और सरकारी सह योगदान पर अर्जित आय, ऐसे ग्राहकों को वापस नहीं किया जाएगा।

दिनांक:  
स्थान:

अभिदाता के दस्तखत/अंगूठे का निशान\*  
(\*पुरुषों के मामले में LTI और महिला मामलों में RTI)

पावती - अटल पेंशन योजना (APY) के लिए खाता बंद करना  
(बैंक द्वारा भरा जायेगा)

अभिदाता का नाम : \_\_\_\_\_

PRAN : \_\_\_\_\_

कोष (पेंशन धन) बचत बैंक खाते में  
जमा किया जाएगा : \_\_\_\_\_

बैंक का नाम:		बैंक का स्टाम्प और हस्ताक्षर
बैंक शाखा:		
प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम:		
आवेदन प्राप्त होने की तिथि:		